मिसल नं0आईडी./ ....

मु0नं0 / टी.आई. / 84 / 2019 / ता0रजू0:–15.07.2019

उनवान

मैनजी पुत्र स्व0 ज्ञानसिंह वगै0 जाति जाटव , निवासी– बाजनाखुर्द ,तहसीलहिण्डौन जिला करौली (राज0) –––––सायलान (5)

बनाम

पिल्लू पुत्र रामहेत वगै0 जाति जाटव निवासी बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन, जिला करौली (राज0) –––––– गैरसायलान (9)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

15.07.2019 यह प्रार्थना पत्र मूलदावा के साथ श्री सीताराम गुर्जर वकील ने पेश किया। दर्ज पंजिका हो। वकील सायल को एकपक्षीय सुना गया दौराने बहस कथन में निवेदन किया की विवादित आराजी ख.नं. 1391,1391/1591,1418,365, कुल किता 4 कुल रकबा 0.81 है0 खं0नं0 1417,1419,317 कुल किता 3 कुल रकबा 1.06 है0 स्थित ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी कास्त की भूमि है विधिवत विभाजन आराजीयात का नही हुआ है भूमि आबादी के पास होने पर भू माफियों की नजर में आने के कारण गैरसायलान येन केन प्रकार से लेने कि फिराक में है यदि भूमि बिना बटवारे के विकय हो गयी तो अनावश्यक विवाद पैदा होवेगें गैरसारलान को पाबंद फरमाया जावें ।

हमनें वकील सायलान को सुना तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया गया है कि सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी एवं कास्त की भूमि है जिसमें सायलान एवं गैरसायलान का संयुक्त प्राईमाफेशी एवं सुविधा का संतुलन समान है किन्तु प्रस्तुत शपथ पत्र एवं मोखिक बहस से विवादित आराजी को गैरसायलान बिना विधिवत बटवारें हुऐ अन्य व्यक्तियों को बेचने के फिराक में है जिससे सायल को अपूर्णिय क्षति होने की संम्भावना बनी हुई है ऐसी स्थिति में गैरसायलान को पाबंद करना उचित समझते है।

अतःगैरसायलान को अंन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द किया जाता है कि आराजी खं0नं0 1391,1391/1591,1418,365, कुल किता 4 कुल रकबा 0.81 है0 खं0नं0 1417,1419,317 कुल किता 3 कुल रकबा 1.06 है0 स्थित ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन में सायल के हिस्से तक किसी प्रकार का रहन वय नही करें रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं कोई निर्माण कार्य नही करें गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर एवं साथ ही रजिस्टर्ड नोटिस पेश नही करने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। दिनांक 01.08.2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner